



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 639]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 15, 2015/आश्विन 23, 1937

No. 639]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 15, 2015/ASVINA 23, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2015

सं. 03/2015-स्वापक नियंत्रण-1

सा.का.नि. 785(अ).—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 7ख और स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियंत्रण कोष) नियमावली, 2006 के नियम 9 के अनुसार केन्द्र सरकार एतदद्वारा वार्षिक रिपोर्ट को अधिसूचित करती है जिसमें निम्न लेखा विवरण के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान धारा 7क की उप-धारा (2) के अंतर्गत इस कोष से वित्तपोषित क्रियाकलापों का विवरण दिया गया है :-

क. वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान निधि की धारा 7क की उपधारा (2) के अंतर्गत वित्तपोषित गतिविधियां

क्र.सं./ आवेदन सं.	स्वीकृति आदेश सं. तथा दिनांक	संगठन का नाम/ समर्थित गतिविधि	स्वीकृत धनराशि (रु.)	प्रदान की गई राशि (रु.)
1/49	स्वी. आ. सं. 15 दिनांक 06.05.2014	नशा मुक्ति केन्द्रों के गठन के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार को 50 लाख रुपये की प्रथम किस्त	99,79,000, दो किस्तों में	50,00,000 (प्रथम किस्त)
2/65	स्वी. आ. सं. 16 दिनांक 03.07.2014	राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वापक औषधि अकादमी, फरीदाबाद, नशे के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए	एकबारगी अनुदान राशि 10,00,000/-	10,00,000/-
3/66	स्वी. आ.सं. 17, दिनांक 21.07.2014	राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वापक औषधि अकादमी, चेन्नई, नशे के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए	एकबारगी अनुदान राशि 2,00,000/-	2,00,000/-

4/64	स्वी.आ.सं. 18, दिनांक 26.09.2014	राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वापक औषधि अकादमी, फरीदाबाद, अकादमी में साइबर फॉरेंसिक लैब गठित करने के लिए	एकबारगी अनुदान राशि 8,76,000/-	8,76,000/-
5/21	स्वी. आ.सं. 19, दिनांक 29.09.2014	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली का राष्ट्रीय औषधि निर्भरता उपचार केन्द्र, चिकित्सा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए	2,28,60,000/- चार किस्तों में	35,00,000/- (चौथी किस्त)
6/69	स्वी. आ.सं. 20, दिनांक 9.02.2015	सीमा शुल्क आयुक्तालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र, शिलांग-अरुणाचल प्रदेश में जनवरी, 2015 माह में गैर-कानूनी अफीम पोस्त की फसल को नष्ट करने/जड़ से उखाड़ने के लिए	एकबारगी अनुदान 11,72,000/-	11,72,000/-
<b>वर्ष के दौरान जारी की गई कुल धनराशि..... 1,17,48,000/- रुपये</b>				

**ख. वर्ष 2014-15 की प्राप्ति और संवितरण के संबंध में एनएफसीडीए मुख्य शीर्ष 8121.00.118.01-सामान्य और आरक्षित फंड के संबंध में लेखा विवरण।**

वर्ष	अथशेष	प्राप्तियां				कुल प्राप्तियां	संवितरण	अंतशेष
		[केन्द्र सरकार (बजट प्रावधान)]	[अध्याय-v क के अंतर्गत जव्त की गई किसी सम्पत्ति का बिक्री आगम]	[किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिया गया कोई अनुदान]	[उपर्युक्त प्रावधानों के अंतर्गत इस कोष में जमा धनराशि के निवेश से प्राप्त कोई आय]			
		मुख्य शीर्ष : 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं; लघु शीर्ष : 797- आरक्षित/ जमा खाते में अंतरण; उपशीर्ष : 01- राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियंत्रण कोष में अंतरण अन्य शीर्ष : 63- अंतर्लेखीय अंतरण	मुख्य शीर्ष : 0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं; उप प्रमुख शीर्ष : 60- अन्य सेवाएं लघु शीर्ष : 800- अन्य प्राप्ति; नया उपशीर्ष : 07- इस अधिनियम की धारा 68ट के अंतर्गत किसी सम्पत्ति के बदले में दण्ड से हुई प्राप्ति	मुख्य शीर्ष : 8121- सामान्य एवं अन्य आरक्षित कोष; लघु शीर्ष- 118 - राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियंत्रण कोष; नया उपशीर्ष : 02- किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा दिए गए अनुदान से हुई प्राप्ति	मुख्य शीर्ष : 8121- सामान्य एवं अन्य आरक्षित कोष; लघु शीर्ष- 118 - राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियंत्रण कोष पर ब्याज; नया उपशीर्ष : 03- भारत सरकार द्वारा ब्याज भुगतान से हुई प्राप्ति			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) (3+4+5+6)	(8)	(9) (2+7-8)
2014-15	21,99,22,122/-	0	41,530/-	0	1,85,83,419/-	1,86,24,949	1,17,48,000/-	22,67,99,071/-

[फा. सं. एन 21014/01/2014-एनसी-1]

टी.के. सत्पथी, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th October, 2015

**No. 03/2015-Narcotics Control-1**

**G.S.R. 785(E).**—In terms of Section 7B of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and rule 9 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (National Fund For Control of Drugs Abuse) Rules, 2006, the Central Government hereby notifies the annual report giving an account of activities financed under sub-section (2) of Section 7A out of the Fund during the financial year 2014-15 together with Statement of Accounts as under:--

**A. ACTIVITIES FINANCED UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION 7A OUT OF THE FUND DURING THE FINANCIAL YEAR 2014-2015**

S.No. /Appl. No.	Sanction order No. & Date	Name of Organization/Activity supported	Amount Sanctioned (Rs.)	Amount Released (Rs.)
1/49	S.O. No. 15 Dt. 06.05.2014	First installment of Rs 50 lakhs to Govt. of Arunachal Pradesh to set- up drug de-addiction centres.	99,79,000/- in two installment	50,00,000/- (1 <sup>st</sup> installment)
2/65	S.O. No. 16 Dt. 03.07.2014	National Academy of Customs Excise and Narcotics (NACEN), Faridabad for observance of international day against drugs	One time grant 10,00,000/-	10,00,000/-
3/66	S. O. No. 17 Dt. 21.07.2014	National Academy of Customs Excise and Narcotics (NACEN), Chennai for observance of international day against drugs	One time grant 2,00,000/-	2,00,000/-
4/64	S. O. No. 18 Dt. 26.09.2014	National Academy of Customs Excise and Narcotics (NACEN), Faridabad for setting up a Cyber Forensic Lab at NACEN, Faridabad	One time grant 8,76,000/-	8,76,000/-
5/21	S. O. No. 19 Dt. 29.09.2014	National Drug Dependence Treatment Centre (NDDTC) of All India institute of Medical Sciences (AIIMS), New Delhi/ for training Medical Officers	2, 28, 60,000/- in four installments.	35,00,000/- (4 <sup>th</sup> installment)
6/69	S. O. No. 20 Dt. 09.02.2015	Commisionerate of Customs, NER Shilong for destruction/uprooting of illicit opium poppy cultivation in Arunachal Pradesh in the month of January, 2015	One time grant 11,72,000/-	11,72,000/-
<b>Total Fund released during the year -----Rs. 1,17,48,000/-</b>				

**B. STATEMENT OF ACCOUNT IN RESPECT OF NFCDA MAJOR HEAD 8121.00.118.01 – GENERAL AND RESERVE FUND FOR THE YEAR 2014-15 RECEIPT AND DISBURSEMENT**

Year	Opening Balance	Receipts				Total Receipts	Disburse-ment	Closing Balance
		[Central Govern-ment Budget Provision]	[The Sale Proceeds of any property forfeited under Chapter VA]	[Any grants made by person or instit uted]	[Any income from investment of the amounts credited to the Fund under the aforesaid provisions]			
		MH:2070-Other Admn. Services; MnH:797-Transfer to Reserve/Deposit Account; SH:01-Transfer to the National Fund for Control of Drug Abuse; OH: 63-Inter-	MH: 0070-Other Admn. Services;SMH: 60-Other Services MnH:800-Other Receipt; New Sub Head: 07-Receipts from fines in lieu of forfeiture of property under Section 68 K of the Act.	MH: 8121- Gene -ral and other Reser-ve Funds; MnH: 118- National Fund for Control of Drug Abuse;	MH: 8121-General and other Reserve Funds; MnH:118-Interest on the National Fund for Control of Drug Abuse; New Sub-Head: 03-Receipts from interest payment by the Govt. of India.			

		Account transfer.		New Sub Head: 02- Receipts from grants by any person or institution.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) (3+4+5+6)	(8)	(9) (2+7-8)
<b>2014- 15</b>	<b>21,99,22,122/-</b>	<b>0</b>	<b>41,530/-</b>	<b>0</b>	<b>1,85,83,419/-</b>	<b>1,86,24,949/-</b>	<b>1,17,48,000/-</b>	<b>22,67,99,071/-</b>

[F. No. N 21014/01/2014-NC-1]

T.K. SATPATHY, Under Secy.